नुस्खे का पूर्व–भुगतान

नुस्खे का पूर्व–भुगतान प्रमाणपत्र (पीपीसी) उन लोगों के खर्च कम करने में मदद करता है जिन्हें बड़ी मात्रा में अथवा लगातार नुस्खों की जरूरत होती है, जहां उन्हें अन्य आधारों पर मुफ्त नुस्खे नहीं मिलते। पीपीसी 4 महीनों अथवा 1 साल के लिए उपलब्ध होते हैं।

यदि आपको हर महीने लगातार एक से ज्यादा नुस्खे की जरूरत होती है तो पीपीसी आपका पैसा बचायेगा।

आप पीपीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं:

- इंटरनेट पर www.ppa.nhs.uk पर
- डाक द्वारा अपनी स्थानीय फार्मेसी पर उपलब्ध फॉर्म एफपी95 का प्रयोग करके
- पीपीसी बेचने के लिए पंजीकृत फार्मेसी से
- टेलिफोन द्वारा - नीचे विवरण देखें:

आप इस नंबर पर फ़ोन करके पीपीसी की कीमत की जांच कर सकते हैं या खरीद सकते हैं:

0845 850 0030

(कॉल मूल्य स्थानीय दर पर वसूला जाएगा)

रिफ़ंड

यदि आप पहले ही एनएचएस शुल्क अदा कर चुके हैं, आप अपना कुछ अथवा सारा पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए दावा भुगतान की तारीख से 3 महीनों के भीतर करना जरूरी है। रिफ़ड के दावे के लिए आमतौर पर आपको एचसी5 फॉर्म भरकर, रसीद के साथ भेजना होता है। एचसी5 में इसका विवरण दिया गया है। आप निम्न स्थानों से एचसी5 फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं:

- आपका स्थानीय जॉबसेंटर प्लस कार्यालय
- आपका स्थानीय अस्पताल
- कुछ दंत चिकित्सक और चश्मा विक्रेता
- www.ppa.nhs.uk - यह आपको डाक द्वारा भेजा जाएगा
- मरीज सेवाओं से इस नंबर पर अनुरोध करके:

0845 850 1166

(कॉल मूल्य स्थानीय दर पर लिया जाएगा)

यदि आप नुस्खों का शुल्क अदा कर रहे हैं और सोचते हैं कि आप रिफ़ंड का दावा कर सकते हैं, तो भुगतान के समय फार्मासिस्ट से एनएचएस रसीद (फॉर्म एफपी57) मांगें। आपको रसीद सिर्फ भुगतान के समय मिल सकती है। रसीद पर यह जानकारी दी होती है कि रिफ़ंड का दावा करने के लिए क्या करना है।

दुभाषिया सेवाएं

यदि अंग्रेजी आपकी पहली भाषा नहीं है, तो हम आपको इस पुस्तिका में दिए सभी नंबरों पर टेलीफोन दुभाषिया सेवा उपलब्ध कराएंगे। जब आप टेलीफोन करें, तो हमें अपनी पसंदीदा भाषा के बारे में अंग्रेज़ी में बतायें या किसी मित्र के ज़रिये बतायें और हम दुभाषिये का प्रबंध करेंगे।

इसमें आमतौर पर 30 सेकंड से 1 मिनट लगता है।

अन्य विशेष जरूरतें

निवेदन पर यह पुस्तिका बेल, ऑडियो कैसेट, डिस्क और बड़े प्रिंट में भी उपलब्ध करवाई जा सकती है।

इस पुस्तिका में दर्ज सभी टेलीफोन नंबर ऊंचा सुनने वाले लोगों के लिए टाइपटॉक स्वीकार करते हैं। यह सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8.00 से सायं 6.00 बजे तक उपलब्ध है।

यह उपलब्ध मदद की अंतिम गाइड नहीं है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए, एनएचएस अस्पतालों में उपलब्ध एचसी11 पुस्तिका लीजिए। कुछ फार्मेसियों, जीपी सर्जरी और चश्मा विक्रेताओं के पास भी इनका स्टॉक होता हैं।

अथवा, निम्नलिखित वैबसाइट पर जाएं और पुस्तिका एक्सेस करने के लिए सर्च सुविधा प्रयोग करें:

www.dh.gov.uk

इसके अलावा, अधिक सलाह के लिए, अथवा रिफ़ंड क्लेम फॉर्म (एचसी5) लेने के लिए निम्नलिखित हैल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और किसी सलाहकार से बात करें:

0845 850 1166

(कॉल मूल्य स्थानीय दर पर लिया जाएगा)

© क्राउन कॉपीराइट 2005।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रकाशित। एचसी11 क्यूजी वी02 1एम

HC11QG

NHS

स्वास्थ्य लागत में मदद

एचसी11 क्विक गाइड

यह गाइड निम्नलिखित एनएचएस शुल्कों एवं सेवाओं के साथ उपलब्ध सहायताओं की व्याख्या करती है:

नुस्खे

दंत चिकित्सा

दृष्टि जांच

चश्मे और कॉन्टैक्ट लैंस

विग और कपड़े की सहायता

सलाहकार की देखरेख में एनएचएस इलाज करवाने के लिए यात्रा।

क्विक गाइड

युवा और लाभ प्राप्त करने वाले लोग

क्या आप 16, 17 और 18 वर्ष की आयु के पूर्णकालिक शिक्षार्थी हैं?

यदि उत्तर हां है, तो आप निम्नलिखित मुफ्त एनएचएस वस्तुओं और सेवाओं के हकदार हैं:

एनएचएस नुस्खे

एनएचएस दंत चिकित्सा

दृष्टि जांच

विग और कपड़े की सहायता

आप नज़र के चश्मों और कॉन्टैक्ट लेंस हेतु वाउचर्स के भी हकदार होंगे

यदि आप (अथवा आपका सहभागी यदि कोई हो) प्राप्त कर रहे हैं:

- आय सहायता
- आय-आधारित बेरोजगारी भत्ता
- पेंशन क्रेडिट **गारंटी क्रेडिट; अथवा**
- आपके पास एनएचएस टैक्स क्रेडिट छूट प्रमाणपत्र है

तब आप ऊपर दी गई सभी वस्तुओं/सेवाओं पर छूट के हकदार हैं और:

किसी अस्पताल सलाहकार की देखरेख में इलाज के लिए की गई यात्रा के वाजिब खर्च के रिफंड के भी

अपने हकदारी के दावे के लिए, अपना इलाज करवाते समय डॉक्टर को बताएं कि आप सोचते हैं कि आपको भुगतान की जरूरत नहीं है। डॉक्टर आपसे प्रमाण मांगेगा कि आपको भुगतान नहीं करना है और आपसे एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने को कहेगा।

नोट: यदि आप ऊपर सूचीवद्ध के अलावा कोई अन्य लाभ ले रहे हैं, आपको पुस्तिका के बाकी हिस्से की जांच कर लेनी चाहिए कि क्या आप मदद के हकदार हो सकते हैं।

कुछ विशेष चिकित्सीय परिस्थितियों के लोग

यदि आप निम्न में से किसी चिकित्सीय परिस्थिति में हैं तो आपको एनएचएस चिकित्सीय छूट प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना चाहिए जिससे आप मुफ्त एनएचएस नुस्खे के हकदार बन जाएंगे। छूट की शर्ते हैं:

हाइपोपैराथाइरॉइडिज़्म

हाइपो-एड्रेनैलिज़्म जिसके लिए खास वैकल्पिक इलाज जरूरी है (उदाहरण के लिए ऐडिसन की बीमारी)

अत्यधिक बहुमूत्रता और अन्य किस्म के

हाइपोपिट्यूटरिज़्म

डायबिटीस मैलिटस जहां इलाज

केवल आहार द्वारा किया जाता है

माइआस्थीनिया ग्रेविस

माइक्सो-एडीमा (अर्थात् हाइपोथाइरॉइडिस्म जिसमें थाइरॉइड हारमोन बदलने की जरूरत होती है)

मिर्गी जिसमें लगातार

ऐंटनरोधी इलाज की जरूरत होती है

एक स्थायी फ़िस्टुला जिसमें लगातार शल्य इलाज या किसी उपकरण की जरूरत होती है

इन अवस्थाओं के अलावा, यदि आपको कोई लगातार जारी शारीरिक विकलांगता है, जिसका अर्थ है कि आप किसी और व्यक्ति की मदद के विना घर से बाहर नही जा सकते, आप इसके योग्य हो सकते हैं।

प्रमाण-पत्र के आवेदन हेतु, अपनी सर्जरी में रिसेप्शनिस्ट से पूछें। फॉर्म सर्जरी में ही भरा जाएगा और सर्जरी स्टाफ सदस्य द्वारा इसकी पुष्टि होगी। सर्जरी आपका आवेदन न्यूकैसल में मरीज सेवा को भेजेगी तथा आपको अपना प्रमाण-पत्र, फार्म भेजने के 14 दिन के भीतर मिल जाएगा।

60 वर्ष तथा उससे ज्यादा आयु के लोग

यदि आप 60 अथवा अधिक आयु के हैं तो आप प्राप्त करने के हकदार हैं:

मुफ्त एनएचएस नुस्खे

मुफ्त एनएचएस दृष्टि जांच

महिलायें जो गर्भवती हैं और जिन्होंने पिछले 12 महीनों मे बच्चे को जन्म दिया है

आप प्राप्त करने की हकदार हैं:

मुफ्त एनएचएस नुस्खे

मुफ्त एनएचएस दंत चिकित्सा

इनके लिए, आपको एनएचएस मैटरनिटी छूट प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करना होगा।

फॉर्म्स आपके जीपी, दाई या स्वास्थ्य वीजिटर के पास उपलब्ध हैं। वे फॉर्म भरने और उसे न्यूकैसल में मरीज सेवा को भेजने में आपकी मदद करेंगे। आपको अपना प्रमाण-पत्र 14 दिन के भीतर मिल जाएगा।

निम्न आय वाले लोग

यदि इस पुस्तिका में दिया कोई भी समूह आप पर लागू नहीं होता, लेकिन आपको एनएचएस शुल्क भुगतान में परेशानी है, तो आप एनएचएस कम आय योजना के अंतर्गत मदद लेने के योग्य हो सकते हैं। यह एक आमदनी से संबंधित योजना है जो आपकी (तथा आपके भागीदार) की हफ्तावार जरूरतों और आय पर नजर रखती है और आकलन करती है कि आपको स्वास्थ्य के लिए कितने पैसे देने चाहिए।

इस योजना के तहत संपूर्ण सहायता की सीमा हाल में बदली गई है इसीलिए यदि काफ़ी समय से आपने दावा नहीं किया है तो यह नए दावे का अवसर हो सकता है।

यदि आप निम्न आय योजना के तहत मदद का दावा करना चाहते हैं तो अपने स्थानीय दंत चिकित्सक, चश्मा विक्रेता अथवा जीपी सर्जरी से फॉर्म एचसी1 लें।

आप यह फॉर्म, भरने की सलाह अथवा सूचना एवं सामान्य सलाह हमारी हैल्पलाइन:

0845 850 1166

पर कॉल कर प्राप्त कर सकते हैं।

(कॉल मूल्य स्थानीय दर पर लिया जाएगा)